22

समक्ष मान्नीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. ...../...../R432-I-17

विषय :– आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

प्रक्षकार – श्री देवलाल आर्मो, उम्र–48 वर्ष, पिता श्री सुखसेन आर्मो (गौड़) निवासी– म.नं. 9, सूपावारा ए पड़रिया, थाना व तह. कुंडम जिला जबलपुर म.प्र.।

विरूद्ध –

अनावेदक – 1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर

2. श्रीमती मनिन्दर कौर सरना पति श्री हरमिन्दर सिंह सरना निवासी–म.नं. 2271, चंद्रशेखर आजाद वार्ड, रांझी, तहसील व जिला जबलपुर ।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध अंतरिम आदेश दिनांक 20/01/2017 पारित द्वारा कलेक्टर जबलपुर प्रकरण कमाक 120/अ–21/2015–16

मान्नीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. 120/अ–21/2015–16 में पारित आदेश दि. 20/01/2017 (Annexure-1) से व्यथित होकर म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत् यह अपील पुनः निरिक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

1- यह कि आवेदक अपीलकर्ता आदिवासी श्री देवलाल आर्मो, उम्र–48 वर्ष, पिता श्री सुखसेन आर्मो (गौड़) निवासी– म.नं. 9, सूपावारा ए पड़रिया, थाना व तह. कुंडम जिला जबलपुर द्वारा ग्राम हंसापुर, प.ह.नं. 18, रा.नि.मं.इमलई, तहसील कुंडम, जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 355, रकवा 0.760 हे. भूमि अनावेदक गैर आदिवासी श्रीमती मनिन्दर कौर सरना पति श्री हरमिन्दर सिंह सरना निवासी–म.नं. 2271, चंद्रशेखर आजाद वार्ड, रांझी, तहसील व जिला जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 16/06/2016 (Annexure-2) म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत् कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

2- प्रकरण में न्यायालय नायब तहसीलदार कुंडम द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/अ–21/16–17 में प्रतिवेदन दि. 23/12/2016 (Annexure-3) में प्रतिवेदित किया गया कि भूमि विक्रय अनुमति उपरांत आवेदक के पास ग्राम सूपावारा, स्थित भूमि खसरा नं. 97, 285, 286, 548, रकवा कमशः 0.41, 0.16, 0.16, 1.03 हे. इस तरह कुल रकवा 1. 76 हे. यानि 4 एकड़ 40 डिस्मिल भूमि सिंचित मेरी एवं मेरी पत्नि के नाम शामिल शरीक खातों में दर्ज है तथा इसके अलावा मेरे स्वयं के नाम पर दर्ज है।

NOTARY MOHAMMED ASHFAQUE JABALPUR DIST M.P Regd. No. 7829 GOVT. OF INDIA

24 JAN 2017

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 432–एक/17 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1-2-17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 120/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 20-1-17 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने का आवेदन पेश किया गया । आवेदन में आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं मालिकाना हक्क की ग्राम हंसापुर प.ह.नं. 18 मड़ई रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 355 रकबा 0.760 हैक्टर को गैर आदिम जनजाति के सदस्य अनावेदक क्रमांक 2 श्रीमती मनिन्दर कौर सना को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन पर से कलेक्टर द्वारा प्रकरण दिनांक 16-6-16 को पंजीबद्ध कर प्रकरण में कार्यवाही प्रारंभ की गई एवं आदेश पत्रिका दिनांक 5-9-16 के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रतिवेदन पेश करने हेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार, जबलपुर को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा विक्रेता एवं क्रेताओं के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत आवेदक	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

द्वारा कलेक्टर के समक्ष शीघ्र सुनवाई का आवेदन पेश किया गया जिसे कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा खारिज किया गया है । इस संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि आवेदक द्वारा निजी आवश्यकताओं के लिए रूपयों की आवश्यकता होने के कारण कलेक्टर के समक्ष प्रकरण का निराकरण यथाशीघ्र करने का आवेदन प्रस्तुत किया था, ऐसी स्थिति में कलेक्टर को प्रकरण का निराकरण करना चाहिए था किंतु उनके द्वारा ऐसा न करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को निरस्त करना न्यायोचित नहीं है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि आवेदक द्वारा जिस व्यक्ति से भूमि क्रय की जा रही है उसके द्वारा शीघ्र विक्रयपत्र संपादित कराने को कहा जा रहा है । ऐसी स्थिति में उसके आवेदन पर शीघ्र निर्णय लिया जाना आवश्यक है । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में इस न्यायालय द्वारा ही जिलाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन को स्वीकार कर भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया गया है ।

3/ आवेदक की ओर से प्रस्तुत आदेश पत्रिकाओं, तहसीलदार के प्रतिवेदन अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि भूमि विक्रय करने से आवेदक पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा । आवेदित भूमि शासकीय पट्टे की भूमि नहीं है बल्कि आवेदक की स्वअर्जित भूमि है । आवेदक की समाज के व्यक्ति भूमि को क्रय करने को तैयार नहीं है । प्रकरण के तथ्यों एवं तहसीलदार के प्रतिवेदन को देखते हुए यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने में उसके आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । अतः जिलाध्यक्ष के

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 432-एक/17 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	समक्ष प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदक को उसके भूमि-स्वामित्व की ग्राम हंसापुर प.ह.नं. 18 मड़ई रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 355 रकबा 0.760 हैक्टर भूमि गैर आदिम जनजाति के सदस्य अनावेदक क्रमांक 2 को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है :- 1- प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा । निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	